बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1920

(1920 का अधिनियम संख्यांक 33)[1]

[9 सितम्बर, 1920]

सिद्धदोष व्यक्तियों तथा दूसरों की माप और फोटोग्राफ लेने को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम

यत: सिद्धदोष व्यक्तियों तथा दूसरों की माप और फोटोग्राफ का लिया जाना प्राधिकृत करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1920 है; तथा

[2][(2) इसका विस्तार, [3][उन राज्यक्षेत्रों के] सिवाय [3][जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे,] सम्पूर्ण भारत पर है ।]

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "माप" के अन्तर्गत अंगुलि-चिह्न और पद-छाप चिह्न हैं;

(ख) "पुलिस अधिकारी" से किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898[4] (1898 का 5) के अध्याय 14 के अधीन अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, या कोई ऐसा अन्य पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

3. सिद्धदोष व्यक्तियों की माप, आदि का लिया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसे—

(क) एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठिन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध अथवा किसी ऐसे अपराध से दोषसिद्ध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वह किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर वर्धित दण्ड का दायी होगा, अथवा

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898[5] (1898 का 5) की धारा 118 के अधीन अपने सदाचार के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है,

यदि उससे वैसी अपेक्षा की जाए तो, किसी पुलिस अधिकारी को, विहित रीति से, अपनी माप और फोटोग्राफ लेने देगा ।

4. असिद्धदोष व्यक्तियों की माप, आदि का लिया जाना—कोई व्यक्ति, जिसे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठिन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वैसी अपेक्षा की जाए तो, विहित रीति से अपनी माप लेने देगा ।

5. किसी व्यक्ति की माप या फोटोग्राफ लेने का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति—यदि किसी मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898[6] (1898 का 5) के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए यह समीचीन है कि किसी व्यक्ति को यह निदेश दिया जाए कि वह अपनी माप या फोटोग्राफ लेने दे तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस मामले में वह व्यक्ति, जिससे उस आदेश का संबंध है, आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा या हाजिर होगा और पुलिस अधिकारी को, यथास्थिति, अपनी माप या फोटोग्राफ लेने देगा :

---

[1] यह अधिनियम, 1922 के मुम्बई अधिनियम सं० 11, 1935 के मुम्बई अधिनियम सं० 4, 1935 के मुम्बई अधिनियम सं० 21, 1959 के मुम्बई अधिनियम सं० 56 द्वारा मुम्बई पर और 1970 के महाराष्ट्र अधिनियम सं० 35 द्वारा महाराष्ट्र पर संशोधित रूप में लागू किया गया ।

यह अधिनियम, निम्नलिखित पर लागू करने के लिए विस्तारित किया गया—

(1) 1961 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 40 द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर;

(2) 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर;

(3) 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर;

(4) 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर;

यह अधिनियम बेल्लापरी जिले पर लागू करने के लिए 1935 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा निरसित किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का अध्याय 12 देखिए ।

[5] अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 117 देखिए ।

[6] अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखिए ।

परन्तु कोई आदेश, जिसमें किसी व्यक्ति को यह निदेश दिया गया हो कि उसका फोटोग्राफ लिया जाए, मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के सिवाय, नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह व्यक्ति ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो ।

6. माप, आदि लिए जाने का प्रतिरोध—(1) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी माप या फोटोग्राफ लेने दे, उसका प्रतिरोध करेगा या उससे इन्कार करेगा, तो उन सभी उपायों को प्रयोग में लाना वैध होगा जो उस माप या फोटोग्राफ को लेने के लिए आवश्यक होंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन माप या फोटोग्राफ लेने का प्रतिरोध करना या उससे इन्कार करना भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा ।

7. दोषमुक्त होने पर फोटोग्राफ और माप के अभिलेखों का नष्ट किया जाना—जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध से तत्पूर्व दोषसिद्ध नहीं किया गया है और जिसने इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपनी माप या फोटोग्राफ लेने दी है, किसी न्यायालय द्वारा बिना विचारण के छोड़ दिया जाता है या उन्मोचित या दोषमुक्त कर दिया जाता है वहां, इस प्रकार ली गई सभी मापें और फोटोग्राफ (नेगेटिव और उसकी प्रतियां दोनों ही), जब तक वह न्यायालय अथवा (उस दशा में जबकि वह व्यक्ति बिना विचारण के छोड़ दिया जाता है) जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड अधिकारी, ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, अन्यथा निदेश न दे, नष्ट कर दिए जाएंगे; या उसे दे दिए जाएंगे ।

8. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम [1][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,] बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित का उपबन्ध किया जा सकेगा :—

(क) धारा 5 के अधीन व्यक्तियों के फोटोग्राफ लेने पर प्रतिबंध;

(ख) वे स्थान जहां नाप और फोटोग्राफ लिए जा सकेंगे;

(ग) किस प्रकार की नाप ली जा सकेंगी;

(घ) वह पद्धति जिससे किसी वर्ग या किन्हीं वर्ग की नाप ली जाएगी;

(ङ) धारा 3 के अधीन फोटोग्राफ लिए जाने के समय व्यक्ति द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक; तथा

(च) नाप और फोटोग्राफ के अभिलेखों का परिरक्षण, निरापद अभिरक्षा, नाशकरण और व्ययन ।

[1][(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

9. वादों का वर्जन—कोई भी वाद या अन्य कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो, या की जाने के लिए आशयित हो, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

———

[1] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अन्त:स्थापित ।